टू फगिर टेस्ट

प्रलिमि्स के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय, वशि्व स्वास्थ्य संगठन

मेन्स के लयि:

बलात्कार पीड़तिों के लयि प्रतगिामी कानून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय **ने कहा है कि कथति बलात्कार पीड़तिों का 'टू-फगिर टेस्ट' कराने वालों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा।**

टू फगिर टेस्ट:

- **परचिय:**
  - चकित्सिक द्वारा कयि जाने वाले टू-फगिर टेस्ट में **पीड़ति के जननांगों की संसर्ग संबंधी अभ्यास की जाँच की जाती है।**
    - यह अभ्यास अवैज्ञानकि है और कोई वशिष्टि जानकारी प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा ऐसी 'सूचना/जानकारी' का बलात्कार के आरोप से कोई लेना-देना नहीं है।
  - महलिा जसिका यौन उत्पीड़न हुआ है, उसके स्वास्थ्य और चकित्सिीय ज़रूरतों का पता लगाने, साक्ष्य एकत्र करने आदि के लयि उसे चकित्सिीय परीक्षण से गुज़रना पड़ता है।
  - यौन उत्पीड़न पीड़तिों के मामलों से नपिटने के लयि वशि्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी एक पुस्तकिा कहती है, "कौमार्य (या 'टू-फगिर') परीक्षण के लयि कोई जगह नहीं है, इसकी कोई वैज्ञानकि वैधता नहीं है।"
- **सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन:**
  - वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय की एकल बेंच ने **महलिाओं के एक्टवि और पैसवि इंटरकोर्स को आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) के तत्त्वों को लागू करने के आलोक में अप्रासंगकि** माना।
  - न्यायालय ने कहा कि जब कोई महलिा बलात्कार का आरोप लगाती है तो उसे, उसके यौन रूप से सक्रयि होने के कारण बलात्कार न मानना **पतिृसत्तात्मक और भेदभावपूर्ण का प्रतीक है।**
  - मई 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था **कि टू फगिर टेस्ट कसिी महलिा के नजिता के अधकिार का उल्लंघन करता है** और सरकार से यौन शोषण की पुष्टि के लयि बेहतर चकित्सिा प्रक्रयिा प्रदान करने हेतु आग्रह कयि था।
  - **आर्थकि, सामाजकि और सांस्कृतकि अधकिारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभसिमय, 1966 तथा अपराध के शकिार एवं शक्ति के दुरुपयोग के पीड़तिों के लयि न्याय के बुनयिादी सद्धिांतों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1985 का आह्वान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय** ने माना कि **बलात्कार पीड़ति कानूनी सहायता की हकदार हैं क्योंकि इससे उन्हें नुकसान पहुँचने के साथ इनकी** शारीरकि या मानसकि अखंडता और गरमिा पर आघात होता है।
  - अप्रैल 2022 में **मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को टू-फगिर टेस्ट पर प्रतबिंध लगाने का नर्दिेश दयि था।**

सरकार के दशिा-नर्दिेश:

- त्वरति सुनवाई के लयि आपराधकि कानून में संशोधन और यौन उत्पीड़न के मामलों में बढ़ी सज़ा पर वचिार हेतु गठति जस्टसि वर्मा समति, 2013 की रपिोर्ट के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2014 की शुरुआत में यौन उत्पीड़न के शकिार लोगों की चकित्सिा जाँच हेतु वसि्तृत दशिा-नर्दिेश जारी कयि।
- दशिानर्दिेशों के अनुसार, **बलात्कार/यौन हसिा को स्थापति करने के लयि 'टू-फगिर टेस्ट' नहीं कयि जाना चाहयि।**
- दशिानर्दिेशों में कहा गया है कि कसिी भी **मेडकिल जाँच के लयि बलात्कार पीड़ति (या उसके अभभिावक, यदि वह नाबालगि/मानसकि रूप से वकिलांग है) की सहमति आवश्यक है।** सहमति न देने पर भी पीड़ति को आवश्यक इलाज की सुवधिा मुहैया कराई जाती है।
- **हालाँकि ये दशिानर्दिेश मात्र हैं कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।**

आगे की राह

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को **निजी एवं सरकारी अस्पतालों में परिचालित किया जाना चाहिये।**
- बलात्कार पीड़ितिाओं का परीक्षण किये जाने से रोकने हेतु स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिये कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिये।
- इस मुद्दे को डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों दोनों के व्यापक संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण द्वारा संबोधित किया जा सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन-उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरूद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिये कुछ नवाचारी सुझाव दीजिये। **(2014)**

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/two-finger-test